कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/प्रारं/आरटीई/बी/सॉफ्टवेयर/18894/13–14/वो–1/180 दिनांकः–22.5.14

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा
....

विषयः–आरटीई ऑनलाईन वेब पोर्टल पर अनिवार्य पंजीयन के संबंध में।

प्रसंगः–आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् जयपुर का पत्र क्रमांक राप्राशिप/जय/आरटीई/2013–14/4547 दिनांक 13.5.14 एवं निदेशालय का समसंख्यक पत्रांक 158 दिनांक 14.5.14

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक पत्र के संबंध में लेख है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत सत्र 2014–15 में राज्य के गैर सरकारी विद्यालयों की एन्ट्री कक्षा में 25% सीटों पर निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों के संबंध में राज्य के समस्त गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा आरटीई ऑनलाईन वेब पोर्टल www.rte.raj.nic.in पर पंजीयन व अन्य प्रविष्टियां करवाने व आप द्वारा इसकी प्रतिदिन मॉनिटरिंग करने हेतु आपको निर्देश प्रदान किये गये थे। परन्तु आरटीई वेब पोर्टल से डाउनलोड की गई सूची अनुसार कुल पंजीकृत 38181 विद्यालयों में से आदिनांक तक 16358 विद्यालयों द्वारा ही पोर्टल पर पंजीयन किया गया है। शेष विद्यालयों द्वारा पोर्टल पर पंजीयन का कार्य अभी तक नहीं किया गया है। जो कि निराशाजनक स्थिति है एवं निदेशक महोदय ने इसे गंभीरता से लिया है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ती के पांच दिवस में उक्त कार्य पूर्ण करने हेतु गैर सरकारी विद्यालयों को पाबन्द करें व इस कार्य की प्रतिदिन मॉनिटरिंग करना सुनिश्चित करें। (नोटः–आपके अधीनस्थ समस्त गैर सरकारी विद्यालयों की सूची आपके लॉग-इन पर उपलब्ध है)

22/5/14

उप निदेशक(आरटीई)
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपिः–1 निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु माध्यमिक शिक्षा के अधीनस्थ कार्यालयों को पाबन्द कराने का श्रम करवावें।

2 उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा..............................को पत्र प्रेषित कर लेख है कि उक्त कार्य पांच दिवस में पूर्ण करने हेतु अधीनस्थ कार्यालयों को पाबन्द करें।

22/5/14

उप निदेशक(आरटीई)
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

अति–आवश्यक

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/प्रारं/आरटीई/बी/सॉफ्टवेयर/18894/13–14/वो–1/185 दिनांकः– 27-5-14

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा
....

स्मरण पत्र-2

विषयः–आरटीई ऑनलाईन वेब पोर्टल पर अनिवार्य पंजीयन के संबंध में।
प्रसंगः–आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् जयपुर का पत्र क्रमांक राप्राशिप/जय/आरटीई/2013–14/4547 दिनांक 13.5.14 एवं निदेशालय का समसंख्यक पत्रांक 158 दिनांक 14.5.14 व 180 दिनांक 22.05.14

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक पत्र के संबंध में लेख है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत सत्र 2014–15 में राज्य के गैर सरकारी विद्यालयों की एन्ट्री कक्षा में 25% सीटों पर निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों के संबंध में राज्य के समस्त गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा आरटीई ऑनलाईन वेब पोर्टल www.rte.raj.nic.in पर पंजीयन व अन्य प्रविष्टियां करवाने व आप द्वारा इसकी प्रतिदिन मॉनिटरिंग करने हेतु आपको निर्देश प्रदान किये गये थे। परन्तु आरटीई वेब पोर्टल से डाउनलोड की गई सूची अनुसार कुल पंजीकृत 38181 विद्यालयों में से आदिनांक तक 16823 विद्यालयों द्वारा ही नये URL पर पंजीयन किया गया है। शेष विद्यालयों द्वारा पोर्टल पर पंजीयन का कार्य अभी तक नहीं किया गया है। जो कि निराशाजनक स्थिति है एवं निदेशक महोदय ने इसे गंभीरता से लिया है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि अविलम्ब उक्त कार्य पूर्ण करने हेतु गैर सरकारी विद्यालयों को पाबन्द करें व जिन गैर सरकारी विद्यालयों को आरटीई वेब पोर्टल पर पंजीयन करने में समस्या आ रही है उनकी समेकित तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार कर आज ही ईमेल आईडी ddrtebknr@yahoo.in या जरिए फैक्स निदेशालय भिजवाना सुनिश्चित करें। उक्त कार्य में और अधिक विलम्ब न करें अन्यथा आपका एवं एपीसी(आरटीई)/प्रभारी(आरटीई) दोनो का भी उक्त कार्य में लापरवाही एवं अनावश्यक विलम्ब करने के लिए व्यक्तिशः उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपिः–1. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल, जयपुर।
2 निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त कार्य को अविलम्ब पूर्ण किये जाने हेतु माध्यमिक शिक्षा के अधीनस्थ कार्यालयों को पाबन्द कराने का श्रम करवावें।
3 उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा..........................को पत्र प्रेषित कर लेख है कि उक्त कार्य अविलम्ब पूर्ण करने हेतु अधीनस्थ कार्यालयों को पाबन्द करें।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर